दिनांक 24.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 36/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हापुड़/थाना सिम्भावली

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 24.11.2024 को थाना सिम्भावली व उत्तराखण्ड की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवादा नहर नया पुल के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त नौशाद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद हापुड़ व राजस्थान एवं उत्तराखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त उत्तराखण्ड प्रान्त से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु उत्तराखण्ड से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सिम्भावली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नौशाद निवासी जमाईपुरा बक्सर थाना सिम्भावली जनपद हापुड़, हालपता निडोली थाना मसूरी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बागपत/थाना कोतवाली बागपत

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 91 हजार रूपये नगद**
- **लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार, 07 चेकबुक, 12 डेबिड/क्रेडिट कार्ड, 06 आधार कार्ड, 03 पेनकार्ड आदि**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 24.11.2024 को थाना कोतवाली बागपत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों की घेराबन्दी की गई तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–आमिर 2–साहिल उर्फ मुन्ना घायल हो गये, जिन्हे अभियुक्त 3–नदीम 4–शोएब सहित गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 91 हजार रूपये नगद, लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार, 07 चेकबुक, 12 डेबिड/क्रेडिट कार्ड, 06 आधार कार्ड, 03 पेनकार्ड, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 18.11.2024 को थाना कोतवाली बागपत क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, कार आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आमिर निवासी मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत।

2–साहिल उर्फ मुन्ना निवासी मुगलपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत।

3–नदीम निवासी मो0टीला कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत।

4–शोएब निवासी देशराज कस्बा बागपत थाना कोतवाली जनपद बागपत।

बरामदगी

1–लूट के 91 हजार रूपये नगद।

2–लूट की 01 स्विफ्ट डिजायर कार।

3–07 चेकबुक, 12 डेबिड/क्रेडिट कार्ड, 06 आधार कार्ड, 03 पेनकार्ड आदि।

4–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना रोजा

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 24.11.2024 को थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जपनापुर मोड़ के पास से 04 अभियुक्त 1–भोला 2–सुरेश 3–राजू उर्फ रजुआ 4–सोनू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के सोने (30 ग्राम)–चाँदी (09 किलो 600 ग्राम) के आभूषण, नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.10.2024 को थाना रोजा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना रोजा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भोला निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

2–सुरेश निवासी ग्राम रम्पुरा थाना पसिगँवा जनपद लखीमपुर खीरी।

3–राजू उर्फ रजुआ निवासी मलिकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

4–सोनू निवासी मिलकिया थाना निगोही जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, नगद रूपये।

2–01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद भदोही/थाना ज्ञानपुर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 24 मोबाइल टॉवर की बैट्री**
- **चोरी के माल बिक्री के 68 हजार 400 रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 आटो (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 23/24.11.2024 को थाना ज्ञानपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गिरधरपुर मोबाइल टॉवर के पास से अभियुक्त 1–जितेन्द्र को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही पर अभियुक्त 2–जयप्रकाश उर्फ नेता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 24 मोबाइल टॉवर की बैट्री, चोरी के माल बिक्री के 68 हजार 400 रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 आटो (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना ज्ञानपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा मोबाइल टॉवर से बैट्री चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना ज्ञानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद बैट्री, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना ज्ञानपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जितेन्द्र निवासी कौलापुर उर्फ बैराजपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

2—जयप्रकाश उर्फ नेता निवासी मदनपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही।

बरामदगी

1—चोरी की 24 मोबाइल टॉवर की बैट्री।

2—चोरी के माल बिक्री के 68 हजार 400 रूपये नगद।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 आटो (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

एएनटीएफ/एएनटीएफ थाना बाराबंकी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 09 करोड़ 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 18 कुन्तल 30 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा**
- **16 हजार 180 रूपये नगद**
- **05 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, 01 डीएल, एटीएम कार्ड**
- **01 कार, 01 डम्फर आदि बरामद**

दिनांक 23.11.2024 को एएनटीएफ थाना बाराबंकी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बीमा चौराहा थाना जाजमऊ कमिश्नरेट कानपुरनगर से 04 अभियुक्तों 1—पुंडलिक 2—संतोष 3—रामसागर 4—मंगेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 09 करोड़ 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)

के 18 कुन्तल 30 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा, 16 हजार 180 रूपये नगद, 05 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, 01 डीएल, एटीएम कार्ड, 01 कार, 01 डम्फर आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जाजमऊ कमिश्नरेट कानपुरनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—पुंडलिक निवासी सेक्टर—3 शिवानन्द नगर थाना भनपुरी जनपद रायपुर छत्तीसगढ़।

2—संतोष निवासी नौबारार देवारा जदीद किता—1 थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

3—रामसागर निवासी ग्राम हेंगापुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

4—मंगेश निवासी ग्राम गजेन्द्र पट्टी भदौरा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1—लगभग 09 करोड़ 15 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 18 कुन्तल 30 किलो 150 ग्राम अवैध गांजा।

2—16 हजार 180 रूपये नगद।

3—05 मोबाइल फोन, 03 आधार कार्ड, 01 डीएल, एटीएम कार्ड।

4—01 कार, 01 डम्फर आदि।

एस0टी0एफ0—जनपद मेरठ के थाना कंकरखेडा क्षेत्रान्तर्गत अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैग के 01 सदस्य को 17 अवैध बन्दूक 12 बोर व 700 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार।

दिनांक 23—11—2024 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद मेरठ के थाना कंकरखेडा क्षेत्रान्तर्गत से अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैग के सदस्य को 17 अवैध बन्दूक 12 बोर की 700 कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

रोहन पुत्र राकेश कुमार नि0 ग्राम लोहडडा, थाना कोतवाली बड़ौत, जनपद बागपत।

बरामदगी–

1– 05 सिगल बैरल बन्दूक 12 बोर

2– 12 डबल बैरल बन्दूक 12 बोर

3– 700 अदद कारतूस 315 बोर

4– 03 अदद खोखा कारतूस .45 बोर

5– 01 अदद स्कार्पियों एन कार नं0–यूपी–17वाई–2700

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय–

दिनाक–23–11–2024, समय–22:00, बजे स्थान–खिर्वा रोड पोहली तिराहा, थाना कंकरखेडा, जनपर मेरठ

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदो में अवैध अस्लाहों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देषित किया गया था, जिसके क्रम में श्री बृजेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, मेरठ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, मेरठ में टीमें गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

दिनांक 23–11–2024 को एसटीएफ फील्ड इकाई मेरठ से निरीक्षक श्री सुनील कुमार के नेतृत्व में उपनिरीक्षक श्री जयवीर सिंह, उपनिरीक्षक दुर्वेश डबास, मुख्य आरक्षीगण रकम सिंह, आकाशदीप, विनय, रोमिश तोमर, भूपेन्द्र, महेश शर्मा, प्रदीप धनकड, दीपक कुमार की टीम अभिसूचना संकलन के उद्देश्य से मेरठ क्षेत्र में मौजूद थी, इस दौरान सूचना प्राप्त हुई कि एक अन्तर्राज्यीय अवैध शस्त्र गिरोह के कुछ सदस्य एक काले रंग की स्कार्पियों गाडी जिसमें भारी मात्रा में अवैध अस्लाह है मेरठ बाईपास से खिर्वा रोड पर करीब 4 कि0मी0 आगे पोहली तिराहे पर खडे होकर अपने किसी साथी के आने का इंतजार कर रहे है, यदि जल्दी की जाये तो पकडे जा सकते है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मुखबिर को साथ लेकर उसके द्वारा बताये गये स्थान की तरफ चल दिये तो मुखबिर द्वारा खिर्वा रोड पर पोहली तिराहा से करीब 20

मीटर पहले गाडी रूकवाकर बताया कि सामने पोहली तिराहे पर जो गाडी खडी है, यही वह गाडी है, जिसमें अवैध अस्लाह है, और मुखबिर चला गया। तत्पश्चात हम पुलिस वाले अपनी–अपनी गाडियों को सडक के साईड में लगाकर नीचे उतरकर गाडी की रोशनी मे सामने खडी गाडी की तरफ बढे तो गाडी के अन्दर बैठे व्यक्तियो ने हमे अपनी तरफ बढता देख गाडी से नीचे उतरे तो टीम द्वारा उनको बताया कि हम पुलिस वाले है आपकी गाडी की तलाशी लेनी है। इस पर उन लोगों ने हम पुलिस वालों को गाली गलोच करते हुए जान से मारने की नीयत से हम पुलिस वालो पर फायर किये, जिससे टीम बाल–बाल बची। तत्पश्चात टीम ने उन्हें पुनः चेतावनी दी की आप लोग पुलिस द्वारा घेर लिये गये हो अपने आपको पुलिस के हवाले कर दो। तत्पश्चात उनकी तरफ से फायर आना बन्द हो गये और वह लोग ग्राम पोहली की ओर भागने लगे, जिनका टीम द्वारा पीछा कर 01 व्यक्ति को आवश्यक बल प्रयोग कर पकड लिया, जबकि चार व्यक्ति पकड में नही आ सके।

पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो पकडे गये उपरोक्त व्यक्ति की निशादेही पर मौके पर खडी स्कार्पियों गाडी की पिछली व बीच की सीट के बीच में से 17 बन्दूक 12 बोर व कारतूस 315 बोर के 35 डिब्बे जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 20 कारतूस 315 बोर कुल 700 कारतूस डिब्बो सहित निकाल कर बाहर रखे थे, बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त से की गयी पूछताछ पर पाया गया कि यह लोग असलाह व कारतूस मराठा गन हाउस, अटारी रोड खासा, जिला अमृतसर पंजाब से 40 से 50 हजार रूपये प्रति बन्दूक तथा 100 रूपये प्रति कारतूस (315बोर) लाते हैं। इन बन्दूकों को यह लोग प्रति बन्दूक 80 हजार से 01 लाख रूपये व प्रति कारतूस को 200 से 250 रूपये में बेच देते है। मराठा गन हाउस का मालिक इन्हें यह असलाह व कारतूस किसी अन्य व्यक्ति के नाम से फर्जी रसीद काटकर देता है तथा वह फर्जी रसीदें अनिल बालियान अपने पास रखता है। अनिल बालियान पुराना असलाह तस्कर है, जिससे जनपद शामली पुलिस द्वारा पूर्व में एके–47 राईफल भी बरामद की गयी थी। पूर्व में भी गिर0 अभियुक्त तथा इसके साथी अनिल बालियान, शारिक व रिजवान से .30 बोर के

पिस्टल 01 लाख रूपये में लेते थे जिनको यह लोग डेढ लाख रूपये मे दीपक, भूरा निवासीगण रमाला थाना रमाला जनपद बागपत, विपिन निवासी वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत व पिंटू दाढी नि0 बिनौली जनपद बागपत को बेच चुके है। यह असलाह व कारतूस यह लोग किसी व्यक्ति को देने के लिये यहां पर आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कंकरखेडा, जनपद मेरठ पर मु0अ0सं0 693/2023 धारा 109/3/318/336/338/340 बीएनएस व 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करवैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>अभियुक्त से की गई पूछताछ पर निम्न तथ्य प्रकाश आयेः–</u>

- इस अन्तर्राज्यीय गैंग का मुख्य सरगना अनिल वालियान उर्फ अनिल बंजी है।
- यह गैंग पंजाब से अवैध शस्त्र तस्करी कर पश्चिमी उ0प्र0 व दिल्ली एनसीआर के जनपदों में सक्रिय गैंग का अवैध शस्त्रों की सप्लाई करते है।
- अनिल वालियान उर्फ अनिल पंजी से पूर्व में भी ए0के0–47 राईफल बरामद हुई थी।
- इस अन्तर्राज्यीय गैंग से 5 सिंगल बैरल व 12 डबल बैरल की बन्दूक बरामद हुई।
- इस अन्तर्राज्यीय गैंग से NAKASY NAYA KASHMIR SYNDKATE में निर्मित 02 गन तथा 01 गन NEW LIGHT ART WORKS JODHPUR (RAJ.) में व 01 गन POPULAR GUN WORKS INDIA व 01 गन EAGLE SAM TOK HOD GUN WORKS व 01 गन RAJPUT GUN PVT. REX से निर्मित बरामद हुई।
- यह गैंग पंजाब व राजस्थान से 40 से 50 हजार रूपये प्रति गन खरीदता है तथा पश्चिमी उ0प्र0 एवं एनसीआर क्षेत्र में 80 से 1 लाख रूपये प्रति गन सप्लाई करता है।
- इसी प्रकार 100 रूपये प्रति 315 बोर के कारतूस खरीदता है तथा 200 से 250 रूपये प्रति कारतूस बेचता है।
- अनिल वालियान उर्फ अनिल बंजी मेरठ के शारिक व सलमान से भी अवैध पिस्टल खरीदकर बेचता है।

एस0टी0एफ0–थाना रानीपुर, जनपद मऊ पंजीकृत मु0अ0सं0–142/2024 में फरार/वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी जनपद मऊ से गिरफ्तार।

दिनांक 23–11–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को थाना रानीपुर, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0–142/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में फरार/वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मेराज अंसारी को जनपद मऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– मेराज अंसारी उर्फ मुसम्मी पिन्टू उर्फ सोनू पुत्र जान मोहम्मद साकिन मटियारा बघरवारा, थाना सरपतहा, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समयः

भेसही पुलिया थाना रानीपुर, जनपद मऊ। दिनांक 23–11–2024, समय 23:52

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस०टी०एफ० की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके अनुपालन में श्री विमल कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ मुख्यालय में एक टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 23–11–2024 को निरीक्षक श्री दीपक सिंह, उपनिरीक्षक रिजवान, उपनिरीक्षक सत्य प्रकाष सिंह, मु0आ0 शमषेर सिंह, मु0आ0 भूपेन्द्र सिंह व कान्स0 अंकित पाण्डेय की टीम आपराधिक अभिसूचना संकलन हेतु जनपद मऊ में मौजूद थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि थाना रानीपुर, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0–142/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 में फरार/वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त मेराज अंसारी भेसही पुलिया थाना रानीपुर के पास मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ, उ0प्र0 की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस को अवगत कराते हुए साथ लेकर मुखबिर की निषादेही पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मेराज अंसारी ने बताया कि वह छुट्टा जानवरो को पकड़ कर कटवा कर आस पास बेंचकर उसका व्यापार करता है। इसमें इसको काफी मुनाफा होता है। जनपद मऊ मे यह काम काफी अच्छा चल रहा था। वह जानवरों को कटवा कर बेंचता था, जिसके सम्बन्ध में उसके विरूद्ध थाना रानीपुर, जनपद मऊ में मु0अ0सं0–142/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 पंजीकृत हो गया तथा उसके ऊपर रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित हो गया तभी से वह मऊ में इधर–उधर लुक छिप कर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना रानीपुर, जनपद मऊ में पंजीकृत पंजीकृत मु0अ0सं0–142/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 मे दाखिल किया गया है। अग्रिम कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

————